प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1342/2024

1 – बीर बहादुर सिंह पिता सुभान सिंह, 21 वर्ष, निवासी गाँव बहरासी, ता जनकपुर, जिला एम. सी. बी., छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना जनकपुर, जिला एम. सी. बी., (सी. जी.)

---उत्तरवादी/राज्य

(वाद कारण सी. आई. एस. से लिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री रामसाजीवन, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री साकिब अहमद, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

बिभू दत्ता गुरु,न्यायाधीश के अनुसार

13.08.2025

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामसजीवन और राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री साकिब अहमद को सुना गया।

2. यह अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा विशेष अपराध संख्या 39/2019 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 26.04.2023 के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी को दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निम्नानुसार दिया गया है:---

दोषसिद्धि	**दंड**
भा.दं. सं. की धारा 341 के तहत	01 माह का साधारण कारावास और 100/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 7 दिन का साधारण कारावास।
भा.दं. सं. की धारा 376 (2) (एन) के तहत	आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना। जुर्माना न देने पर 01 वर्ष का कठोर कारावास।
दोनों दंड साथ-साथ चलेंगी।	

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि 09.01.2019 को, जब पीड़िता एक दुकान से चाय की पत्ती खरीदकर घर लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे रोक लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, उसका मुँह बंद कर दिया और उसे पास के एक खेत में घसीटकर ले गया, जहाँ उसने उसके अंतर्वस्त्र उतार दी और उसके रोने और छोड़ने की गुहार लगाने के बावजूद लगातार तीन बार उसके साथ बलात्कार किया।लगभग एक घंटे पश्चात् आरोपी ने उसे जाने दिया, तथा वह घर लौट आई।इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई तथा आपराधिक विधि लागू किया गया था।अन्वेषण के दौरान, नजरी नक्शा (एक्स पी/2) तैयार किया गया था।अभियोजक की रिपोर्ट (एक्स पी/11) के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षा गई।अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजक सहित सभी साक्षीयों के बयान पुलिस द्वारा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज किए गए। इसके बाद, आरोप-पत्र तदनुसार प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप निर्धारण के बाद, आरोप पढ़कर सुनाए गए और अपीलकर्ता को समझाए गए। अपीलकर्ता ने अपराध करने से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

4. अपराध को प्रमाणित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 17 साक्षीयों कि परीक्षा की है। धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी/अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने मामले में अपनी बेगुनाही और झूठे फंसाए जाने का तर्क दिया था।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, दिनांक 26.04.2023 के अपने निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को इस निर्णय के कंडिका दो में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया है ।अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया।

6. अपीलार्थी हेतु विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि दोषसिद्धि तथ्यों, साक्ष्य तथा अभिलेख पर सामग्री के विपरीत है, तथा अपास्त जाने हेतु उत्तरदायी है।यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी, एक 21 वर्षीय छात्र, को झूठे तथा आधारहीन आरोपों के आधार पर झूठा फंसाया गया है, तथा अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से परे साबित करने में विफल रहा है।विचारण न्यायालय ने हितबद्ध तथा अविश्वसनीय साक्षीयों के कथन पर भरोसा किया, जो भौतिक विरोधाभासों तथा चूक से ग्रस्त है।उन्होंने आगे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 376(2)(एन) के तहत अपराधों के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं किए गए हैं, और निर्णय और सजा अवैध, मनमाना और कानून की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि एफएसएल रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा ऊपर दिए गए उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख को भी अत्यंत सावधानी तथा सावधानी के साथ देखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विचार हेतु पहला प्रश्न यह है कि क्या पीड़ित नाबालिग है/18 वर्ष से कम आयु का है या नहीं?

10. अभियोगी-1 पीड़िता ने स्वयं बताया कि उसकी आयु 12 वर्ष है और वह कक्षा 8 में पढ़ती थी, जिसकी पुष्टि प्र.प्र.-7 सी दाखिल खारिज रजिस्टर से होती है, जिसे अभियोगी-6 संतोष कुमार सोनी, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय बहेराटोला द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसमें अभियोक्ता की जन्मतिथि 11.06.2005 अंकित है। प्रतिपरीक्षा के दौरान इन साक्षीयों के बयान को पूरी तरह से चुनौती नहीं दी जाती है।इसलिए, चुनौती के अभाव और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सिद्ध सामग्रियों के कारण, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि घटना दिनांक को पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की होने के कारण, पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (डी) के अर्थ में 'बालिका' है।

11. विचार हेतु अगला प्रश्न यह आएगा कि क्या अपीलार्थी ने पीड़ित के साथ ऐसा जघन्य कृत्य किया है या नहीं?

12. अभियोक्ता पीडब्लू-1 ने स्वयं कथन किया है कि वह अभियुक्त को जानती और पहचानती है, 09.01.2019 को, लगभग 6:00 बजे, उसकी नानी, फूलबाई ने उसे एक दुकान से चायपत्ती खरीदने के लिए भेजा था।चाय पत्ती लेकर घर लौटते समय, आरोपी बीर बहादुर रास्ते में उससे मिला, उसका मुंह तौलिया से ढक दिया, उसे उठाया तथा उसे पास के खेत में ले गया।वहां उसने उसकी अंतर्वस्त्र उतार दी और उसके साथ लगातार तीन बार जबरन बलात्कार किया।इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।वह रोते हुए घर लौटी तथा अपनी चाची, शशिकल को सूचित किया, जिन्होंने तब अपनी नानी, फुलबाई को बताया।उसने आगे कहा कि उसकी नानी उसे जनकपुर अस्पताल ले गई, जहाँ से उसे बैकुंथपुर के जिला अस्पताल में भेजा गया, जहाँ

उसकी चिकित्सकीय परीक्षा की गई।उसने कहा कि वह आरोपी द्वारा किए गए बलात्कार के कृत्य के कारण बेहोश हो गई थी।

13. अभियोक्ता पक्ष-2, पीड़िता के पिता ने बताया कि पीड़िता बचपन से ही अपनी नानी के घर रह रही थी। घटना की रात को उसके बहनोई ने उसे फोन किया तथा बताया कि आरोपी बीर बहादुर ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है।उन्होंने कहा कि इसके बाद पीड़िता को इलाज हेतु जनकपुर ले जाया गया, जहां से उसे बैकुंथपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया।साक्षी ने आगे कहा कि घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने फिर उसे सूचित किया।उसे पता चला कि जब पीड़िता चायपत्ती खरीदने के लिए एक दुकान पर गई थी, तो लौटते समय आरोपी ने उसे रोक लिया, उसका मुंह बंद कर दिया, उसे उठा लिया और एक खेत में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।लगभग एक घंटे पश्चात् आरोपी ने उसे छोड़ दिया, तथा वह घर लौटी तथा अपनी चाची को घटना के बारे में बताया।

14. पीडब्लू-3 पीड़ित की माँ ने कहा है कि वह आरोपी बीर बहादुर को घटना दिनांक से जानती है, शाम को उसकी माँ फुलबाई ने पीड़ित को चाय पत्ती खरीदने के लिए दुकान पर भेजा था।दुकान से लौटते समय, आरोपी ने पीड़िता को पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया और उसे अपने घर के पास एक खेत में ले गया और धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसे जान से मार देगा।वहां आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया।साक्षी ने आगे कहा कि वह दो-तीन बार पीड़िता को ढूंढने गई लेकिन वह नहीं मिली।उसने आगे बताया कि पीड़िता शाम लगभग 7:00 बजे रोती हुई घर लौटी और पूछने पर उसने बताया कि जब वह दुकान से चाय की पत्ती लेकर लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया, उसका मुँह बंद कर दिया, उसे पास के एक खेत में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया तथा धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसे जान से मार देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. पीडब्लू/9 डॉ. विशाखा डे ने पीड़ित की शारीरिक तथा आंतरिक परिक्षण के आधार पर अपने न्यायालयीन कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार व्यक्त कियाः---

1. पीड़िता एक नाबालिग लड़की है जो अभी यौवन अवस्था में नहीं पहुंची है, जैसा कि द्वितीयक यौन विशेषताओं और जघन बालों की अनुपस्थिति से पता चलता है, तथा यह तथ्य कि मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ था।

2. हाइमन का पूर्ण रूप से फटना जो पश्च फोर्निक्स तक फैला हुआ है, प्रथम-डिग्री पेरिनियल टियर, लेबिया माइनोरा और योनि भित्ति पर खरोंच और घाव, साथ ही सक्रिय रक्तस्राव और लगभग 200 मिलीलीटर रक्त के थक्के का रिसाव, हाल ही में हुए और बलपूर्वक योनि प्रवेश के अनुरूप हैं।

3. चोटों की प्रकृति तथा गंभीरता से पता चलता है कि वे जननांग क्षेत्र पर लगाए गए कुंद बल के कारण हुई थीं।

4. परिक्षण के समय चोटें ताजा थीं तथा प्रस्तुति से पहले थोड़े समय के भीतर लगी हो सकती थीं।

5. निष्कर्ष यौन हमले के अनुरूप हैं।"

16. एफएसएल रिपोर्ट (प्री. पी/20) के अनुसार (प्री. ए और बी) में कोई मानव शुक्राणु नहीं पाया गया था।
17. अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों की चिकित्सा परिक्षण की गई और रिपोर्ट प्री. पी/17 के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता यौन संबंध बनाने में सक्षम है।मुख्य परिक्षण में , इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी ने चिकित्सा परिक्षा से 24 घंटे पहले यौन संबंध बनाए थे, परीक्षा रिपोर्ट में इस संबंध में कोई राय नहीं दी गई है।

18. यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि पीड़ित की साक्षी विश्वसनीय है और मामले के अभिलेख में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता से यह पता चलता है कि पीड़ित के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

19. यह भी विधि की लगभग तय स्थिति बन गई है कि दोषसिद्धि पीड़ित के एकल बयान पर आधारित हो सकती है, परंतु वह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. राय संदीप उर्फ दीनू बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2012 (8) एस. सी. सी. 21 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः---

"22. हमारी सुविचारित राय में, 'उत्कृष्ट साक्षी' अत्यंत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, इसलिए उसका कथन अकाट्य होना चाहिए।ऐसे साक्षी के कथन पर विचार करने वाला न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए कथन की सत्यता है।अधिक सुसंगत तथ्य यह होगा कि बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक एकरूपता बनी रहे, अर्थात, उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष बयान देता है।यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए।ऐसे साक्षी के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए।साक्षी को किसी भी लम्बाई और चाहे कितनी भी कठिन जिरह क्यों न हो, सहन करने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्रियों, जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय, के साथ सह-संबंध होना चाहिए।उक्त कथन प्रत्येक अन्य साक्षी के कथन से सुसंगत होना चाहिए।यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध का दोषी ठहरा सके। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान

परीक्षणों को भी पूरा करता हो, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसका बयान न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है।अधिक स्पष्टता के लिए, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का कथन यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, भौतिक विवरणों में उक्त कथन से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध का परीक्षण करने वाला न्यायालय, कथित आरोप के लिए अपराधी को दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छांटने हेतु मूल कथन पर भरोसा कर सके।"

21. इसके अलावा, **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन, 1990 एससीसी 550** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-----

" यौन अपराध की अभियोक्ता को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है।वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है।साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए।वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है।उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी किसी घायल परिवादी या साक्षी के मामले में बरती जाती है, इससे अधिक नहीं।आवश्यक यह है कि न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है।यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में धारा 114 के दृष्टांत (बी) के समान कोई विधि या अभ्यास शामिल नहीं है, जिसके लिए पुष्टि की तलाश करना आवश्यक है।यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्ता के कथन पर अंतर्निहित निर्भरता रखने में हिचकिचाता है तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके साक्ष्य को एक साथी के मामले में आवश्यक पुष्टिकरण से कम आश्वासन दे सके।अभियोक्ता के कथन को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यदि अभियोक्ता वयस्क है और पूरी तरह समझदार है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार तय करने का हकदार है, जब तक कि वह स्वयं कमजोर और अविश्वसनीय न हो।यदि प्रकरण के अभिलेख में दर्ज परिस्थितियों की समग्रता से यह ज्ञात होता है कि अभियोक्ता के पास आक्षेपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।"

22. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि पीड़िता अभियोक्ता 1 के कथन से, जब वह चाय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की पत्ती लेकर दुकान से लौट रही थी, अभियुक्त ने उसे जबरन पकड़ लिया, उसका मुँह बंद कर दिया, उसे पास के एक खेत में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

23. परिणामस्वरूप, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है और विशेष रूप से चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (एक्स.पी/11) को देखते हुए, जिसमें चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता पर बलपूर्वक यौन उत्पीड़न किया गया था, इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में सफल रहा है।

24. इस समय, यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि पीड़िता घटना दिनांक अर्थात 9-1-2019 को 16 वर्ष से कम आयु की थी।इस मामले में, अभियुक्त पर धारा 376(2)(एन) के तहत अपराध का विचारण चलाया गया है, जो एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार करने का प्रावधान करता है, जबकि अपीलकर्ता पर भा.दं. सं. कि धारा 376(3) के तहत वाद चलाया जाना है, जिसे 21-4-2018 को जोड़ा गया है।इसमें यह भी प्रावधान है कि जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कम से कम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. धारा 386 सीआरपीसी (427 बीएनएसएस) के तहत व्यापक शक्ति प्रदान की गई है और उसी के अनुसरण में, अपीलीय न्यायालय धारा 216 सीआरपीसी (239 बीएनएसएस) के तहत आरोप को बदलने या जोड़ने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।सुविधा के लिए, नीचे सीआरपीसी की धारा 386 और 216 उद्धृत की गई हैं:386. अपील न्यायालय की शक्तियाँ- ऐसे अभिलेख का अवलोकन करने और अपीलकर्ता या उसके वकील, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक, यदि वह उपस्थित होता है, तथा धारा 377 या धारा 378 के अंतर्गत अपील की स्थिति में, अभियुक्त, यदि वह उपस्थित होता है, को सुनने के पश्चात, अपील न्यायालय, यदि वह समझता है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकता है, या-

(क) दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में, ऐसे आदेश को उलट सकेगा और निर्देश दे सकेगा कि आगे जांच की जाए, या अभियुक्त पर पुनः विचारण किया जाए या उसे, यथास्थिति, विचारण के लिए सौंप दिया जाए, या उसे दोषी ठहरा सकेगा और विधि के अनुसार उस पर दंडादेश पारित कर सकेगा;

(ख) दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में-

(i) निष्कर्ष और दंडादेश को उलट देना और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर देना, या ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उस पर पुनः विचारण करने या उसे विचारण के लिए सौंपने का आदेश देना, या

(ii) निष्कर्ष में परिवर्तन करना, दंडादेश को यथावत रखना, या

(ग) निष्कर्ष के साथ या उसमें परिवर्तन किए बिना, वाक्य की प्रकृति या विस्तार, या प्रकृति तथा विस्तार में परिवर्तन करें, परंतु इसे बढ़ाने के लिए नहीं;

(ग) दंड बढ़ाने हेतु अपील में –

(i) निष्कर्ष तथा सजा को उलट दें तथा आरोपी को बरी या आरोपमुक्त कर दें या उसे अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें, या

(ii) दंड को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन करें, या

(iii) निष्कर्ष के साथ या उसमें परिवर्तन किए बिना, वाक्य की प्रकृति या विस्तार, या प्रकृति तथा विस्तार में परिवर्तन करें, ताकि उसे बढ़ाया या घटाया जा सके।

(iv) किसी अन्य आदेश की अपील में, ऐसे आदेश को बदलें या उलट दें;

(v) कोई संशोधन या कोई परिणामी या आनुषंगिक आदेश करना जो न्यायसंगत या उचित हो सकता है:परंतु कि सजा तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर न मिला हो:परन्तु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जो उसकी राय में अभियुक्त ने किया है, उससे अधिक दण्ड नहीं देगा जो अपील के अधीन आदेश या दण्डादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए दिया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

216. न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है –

(1) कोई भी न्यायालयनिर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा।

(3) यदि आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में, परीक्षण को तुरन्त आगे बढ़ाने से अभियुक्त को अपने बचाव में या अभियोजक को मामले के संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय, ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन किए जाने के पश्चात्, अपने विवेकानुसार, परीक्षण को इस प्रकार आगे बढ़ा सकेगा मानो परिवर्तित या जोड़ा गया आरोप मूल आरोप था।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में, मुकदमे को तुरंत आगे बढ़ाने से अभियुक्त या पूर्वोक्त अभियोजक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को आवश्यक अवधि के लिए स्थगित कर सकता है।

(5) यदि परिवर्तित या जोड़े गए आरोप में वर्णित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो मामले में तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अनुमति प्राप्त न हो जाए, जब तक कि उन्हीं तथ्यों पर अभियोजन के लिए अनुमति पहले ही प्राप्त न कर ली गई हो जिन पर परिवर्तित या जोड़े गए आरोप आधारित हैं।

26. चंद्र प्रताप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में, जिसकी रिपोर्ट (2023) 10 एससीसी 181 में दी गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 13 में इस प्रकार निर्णय दिया:13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के तहत अपीलीय न्यायालय भी धारा 216 के तहत आरोप को बदलने या जोड़ने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।हालाँकि, यदि अपीलीय न्यायालय ऐसा करने का आशय रखता है, तो प्राकृतिक न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों के अनुसार, अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त को प्रस्तावित आरोप के बारे में सूचित करना आवश्यक है, जब आरोपों के परिवर्तन या जोड़ से अभियुक्त को प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।जब तक अभियुक्त को यह सूचित नहीं किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय किसी आरोप को किसी विशेष तरीके से बदलने या जोड़ने का आशय रखता है, तब तक उसका अधिवक्ता मामले में प्रभावी ढंग से बहस नहीं कर सकता है।केवल तभी जब अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को यह सूचित किया जाता है कि आरोप को किसी विशेष तरीके से परिवर्तित करने का आशय है, उसका अधिवक्ता प्रभावी रूप से यह तर्क दे सकता है कि परिवर्तित आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ था।उदाहरण हेतु, वर्तमान मामले में, अपीलीय न्यायालय हेतु यह आवश्यक था कि वह अपीलार्थी हेतु यह सूचित करे कि उसका आशय आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से उसे दोषी ठहराना है, जिसका आरोप नहीं बनाया गया था।हम यहाँ यह जोड़ सकते हैं कि न्यायालय अपील की सुनवाई के दौरान अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को मौखिक रूप से सूचित करके भी आरोप में प्रस्तावित परिवर्तन या परिवर्धन की सूचना दे सकता है।किसी मामले में, न्यायालय दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को परिवर्तित या परिवर्धित आरोप पर न्यायालय को संबोधित करने के लिए तैयार होने हेतु थोड़ा समय दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. धारा 386 सीआरपीसी (427 बीएनएसएस) द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के मद्देनजर, यहां तक कि एक अपीलीय न्यायालय भी धारा 216 सीआरपीसी (239 बीएनएसएस) के तहत आरोप को बदलने या जोड़ने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अपीलकर्ता को धारा 376 (2) (एन) के स्थान पर धारा 376 (3) आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए आजीवन कारावास के बजाय 20 साल के लिए कठोर कारावास का दंड पारित किया जाता है।चूँकि आरोप में परिवर्तन से अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा होता है, इसलिए इस समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।दोषसिद्धि का शेष भाग, दंड और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई जुर्माने की राशि भी अपरिवर्तित रहेगी।

28. अतः, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

29. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति उस जेल अधीक्षक को भेजे जहाँ अपीलकर्ता जेल की सजा काट रहा है ताकि वह अपीलकर्ता को यह सूचित कर सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

30. इस निर्णय तथा मूल अभिलेख की एक प्रति आवश्यक जानकारी तथा अनुपालन हेतु तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

सही /-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही /-
(बिभू दत्त गुरु)
मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेड नोट:

धारा 386 सीआरपीसी (427 बीएनएसएस) द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के तहत, एक अपीलीय न्यायालय भी धारा 216 सीआरपीसी (239 बीएनएसएस) के तहत आरोपों को बदलने या जोड़ने की शक्ति का प्रयोग

कर सकता है।हालाँकि, जब आरोपों में परिवर्तन या वृद्धि से अभियुक्त को प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur